न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 76 / 2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री राकेश गुलाटी पुत्र स्व0 श्री आर0के0 गुलाटी (विक्रेता), मैसर्स राजे साहेब एजेन्सीज, रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास वाली गली, मदनगंज, किशनगढ–305801
2. (मालिक विक्रेता फर्म) श्रीमति गीता गुलाटी पत्नि श्री अनिल गुलाटी, मैसर्स राजे साहेब एजेन्सीज, रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास वाली गली, मदनगंज, किशनगढ–305801
3. (मालिक विक्रेता फर्म) श्री दीपक गुलाटी पुत्र श्री राकेश गुलाटी, गुलाटी ट्रेडर्स, रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास वाली गली, मदनगंज, किशनगढ–305801
4. (नोमिनी निर्माता फर्म) श्री धर्मेन्द्र हन्सराज कोटक मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, ई–168, रोड़ नं0 9 जे, वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर–302013
5. (निर्माता फर्म) मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड, C/o लक्ष्मी एजेन्सी, ई–168, रोड़ नं0 9 जे, वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर–302013

.....*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :
1– श्री अखिलेश गर्ग, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) मै0 नेस्ले इण्डिया

–: आदेश :–

दिनांक– 05.02.2020

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

स्टेण्डर्ड Everyday Dairy Whitener (Nestle) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब से प्राप्त जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.10.2014 को 12.30 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स राजे साहेब एजेन्सीज, रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास वाली गली, मदनगंज, किशनगढ–305801 पर पहूँचे श्री राकेश गुलाटी पुत्र स्व0 श्री आर0के0 गुलाटी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Everyday Dairy Whitener (Nestle) का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान में 200–200 ग्राम के पॉलिथीन पैकेट Everyday Dairy Whitener (Nestle) के आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उनमे से 12 पैकेट नमूना जॉच हेतु खरीदे एवं राशि रूपये 327/– रूपयें श्री राकेश गुलाटी पुत्र स्व0 श्री आर0के0 गुलाटी को नगद देकर गवाहान के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री राकेश गुलाटी पुत्र स्व0 श्री आर0के0 गुलाटी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा Everyday Dairy Whitener (Nestle) के 200–200 ग्राम के 12 पैकेट में से 3–3 पैकेट धागे से बांधकर चार नमूने पैकेट बनाये व तैयार किये गये लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाकर डीओ के कोड क्रमांक ए–812 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं सील चपड़ी लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लिया एवं कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा माणक प्रयोगशाला, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2014/9159 दिनांक 24.11.2014 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एल.एस.

खाद्य निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

/478/एक्ट/2014/543 दिनांक 19.11.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Everyday Dairy Whitener (Nestle) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। जिसमें Everyday Dairy Whitener (Nestle) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान हेतु मैसर्स राजे साहेब एजेन्सीज, रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास वाली गली, मदनगंज, किशनगढ–305801 से पत्रांक 84 दिनांक 24.02.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की प्रति चाही गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य रजि0 पत्र रजि0 नंबर 08860010895, अनुज्ञा पत्र नं0 12212009001141 एवं क्रय बिल दिनांक 10.10.2014 की छायाप्रति पेश की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान हेतु मैसर्स गुलाटी ट्रेडर्स, रोड़वेज बस स्टैण्ड के पास वाली गली, मदनगंज, किशनगढ–305801 से पत्रांक 116 दिनांक 31.03.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की प्रति चाही गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य रजि0 पत्र रजि0 नंबर 08684401602, अनुज्ञा पत्र नं0 12212009001140 एवं क्रय बिल दिनांक 09.10.2014 की छायाप्रति पेश की गई। मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड, C/o लक्ष्मी एजेन्सी, ई–168, रोड़ नं0 9 जे, वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर–302013 से पत्रांक 148–149 दिनांक 16.04.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, डायरेक्टर, नोमिनी आई.डी., पार्टनर व वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन की प्रति चाही गई। उन्होने प्रतिउत्तर में नोमिनी फॉर्म नं0 9, खाद्य अनुज्ञा पत्र सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जिसमें श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) Nestle India Limited C/o M/s Laxmi Agencies, E – 168 Road No. 9J VKI Area Jaipur 302013 का होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी/प्रार्थी वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 04 व 05 की ओर से जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उनके द्वारा निर्मित व विक्रित खाद्य पदार्थ Everyday Dairy Whitener (Nestle) निर्देशित मानकों के अनुसार ही बनाया गया है तथा खाद्य विश्लेशक की रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड होने का आरोप मिथ्या है।

खाद्य विश्लेशक ने उनके खाद्य पदार्थ Everyday Dairy Whitener (Nestle) को अवमानक माना है जबकि Everyday Dairy Whitener (Nestle) निजस्वमूलक खाद्य पदार्थ है एवं अवमानक नहीं है। विनियम 2011 के अनुसार Everyday Dairy Whitener (Nestle) के कोई मानक निर्धारित नहीं है। यह निजस्वमूलक खाद्य के रूप में वर्गीकृत है। नियम 2.12.1 के अनुसार वह खाद्य जिसका मानक विनिर्दिष्ट नहीं है, निजस्वमूलक खाद्य है। Everyday Dairy Whitener (Nestle) एक Proprietary Food है

खाद्य निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

जिसके लिये इन विनियमों एवं धारा 22(4) में कोई मानक निर्धारित नहीं है। Everyday Dairy Whitener (Nestle) एक डेयरी वाईटनर है जो कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अधिनियम 2.1.8(3) के मानक में नहीं आता है। यह मानक मिल्क पाऊडर के लिये निर्धारित किये गये हैं। मिल्क पाऊडर में मिठास के घटक नहीं होते हैं जबकि Everyday Dairy Whitener में चीनी एक घटक है। इन कारणों से मिल्क पाऊडर के मानक Everyday Dairy Whitener पर लागू किया जाना उचित नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.12.2013 से उत्पाद अनुमोदन दिया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने क्रिमिनल अपील संख्या 896/2003 हिन्दुस्तान लीवर लि0 बनाम खाद्य अधिकारी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2003 में स्पष्ट किया गया है कि "Any procecution in regard to an article of food for which no standards have been laid, applying the standards for other articles would not be sustainable".

खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण में विधि के प्रावधानों के विरूद्ध देरी से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो प्रतिवादी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक गंभीर भेदभाव का कारण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(3) व नियम 2.4.2(5) के प्रावधानों के अनुसार खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट 14 दिवस में प्रस्तुत नहीं कर 36 दिवस के उपरान्त प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(3) में पुनःस्थापित किया गया है कि "(i) where such sample is received under section 38 or section 47, to the Designated Officer, four copies of the report indicating the method of sampling and analysis ; and (ii) where such sample is received under section 40, a copy of the report indicating the method of sampling and analysis to the person who had purchased such article of food with a copy to the Designated Officer; Provided that in case the sample can not be analysed within fourteen days of its receipt, the Food Analyst shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis. अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2) के समस्त खण्डों और इसके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। अतः उनको आरोप मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाया जावे। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में The Food Safety and Standards Act 2006 के Section 3(P) प्रस्तुत किये। उन्होने आगे कथन किया कि खाद्य विश्लेशक ने उनके खाद्य पदार्थ Everyday Dairy Whitener (Nestle) को अवमानक माना है। जबकि खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत की गई नमूना जांच रिपोर्ट सही नहीं है।

वकील अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने आगे कथन किया कि उक्त वाद में नमूना संख्या ए–812 की जांच खाद्य विश्लेशक अजमेर के द्वारा की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(पी) में वर्णित खाद्य

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रयोगशाला की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि – "food laboratory" means any food laboratory or institute established by the Central or State Government or any other agency and accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or an equivalent accreditation agency and recognized by the Food Authority under section 43. खाद्य विश्लेषक द्वारा जिस लेबोरेट्री में खाद्य नमूने का विश्लेषण किया गया है, वह मात्र एक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला है जो न तो NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही FSSAI द्वारा अधिसूचित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2011 की जिस एडवाईजरी का उल्लेख अपने कथन में किया है, उसे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1688/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 द्वारा त्रुटिपूर्ण माना जाकर खारिज किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.04.2012 अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 की धारा 43 के अन्तर्गत विश्लेषण किये जाने वाले खाद्य नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट पर NABL का लोगो होना अनिवार्य है, जबकि उक्त विश्लेषण रिपोर्ट न तो NABL प्रयोगशाला में तैयार की गई एवं न ही उस पर NABL का लोगो है। भारत का राजपत्र में दिनांक 01.04.2015 से 17.08.2018 तक प्रकाशित NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) की सूची एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2012 से 17.08.2018 तक की सूची में उक्त प्रयोगशाला का नाम नहीं है। खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) FAC 294 में स्पष्ट है कि जो प्रयोशालायें NABL अथवा खाद्य प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके द्वारा जारी की जाने वाली विश्लेषण रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जायेगा। इसी सम्बन्ध में उन्होने हमारा ध्यान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढवाल (उत्तराखण्ड) द्वारा वाद संख्या 512/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2018 की ओर आकर्षित किया जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि – "इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रयोगशाला का तात्पर्य ऐसी प्रयोगशाला से है जिसे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई हो तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त नमूनों का परीक्षण उन्ही प्रयोगशालाओं के द्वारा किया जायेगा जो प्रयोगशाला अधिनियम की धारा 43 में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के द्वारा प्रत्याहित की गई हों।" अन्त में उन्होने कथन किया कि इस प्रकार अप्रार्थीगण पर लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त खाद्य उत्पाद सबस्टैण्डर्ड नहीं है। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को मामले में दोषमुक्त किया जावे।

हमने प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद Everyday Dairy Whitener (Nestle) की निर्मात्री कम्पनी नेस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक हैं एवं सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल/कैशमीमो द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

खाद्य विश्लेषकों द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Everyday Dairy Whitener (Nestle) की जांच FSSAI की धारा 3(P) के अनुसार विश्लेषण नहीं किया गया है। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(3) व नियम 2.4.2(5) के प्रावधानों के अनुसार खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट 14 दिवस में प्रस्तुत नहीं कर 36 दिवस के उपरान्त प्रस्तुत की गई है जो कि अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। Everyday Dairy Whitener (Nestle) एक डेयरी वाईटनर है जो कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अधिनियम 2.1.8(3) के मानक में नहीं आता है जो कि एक Proprietary Food है। यह मानक मिल्क पाऊडर के लिये निर्धारित किये गये हैं जिन्हे Everyday Dairy Whitener पर लागू नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी/प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26 एवं 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य विश्लेषकों की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं साबित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक /सरिश्ता/अपर/2020/ 681-85　　　　दिनांक : 7.2.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर
3– श्री धर्मेन्द्र हन्सराज कोटक मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, ई–168, रोड़ नं0 9 जे, वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर–302013
4– श्री आनन्द पाराशर पुत्र श्री बृजमोहन पाराशर, मैसर्स पाराशर ब्रदर्स, महावीर बाजार, बिजयनगर अजमेर
5– श्री मनोहर लाल सिन्धी पुत्र श्री गोविन्द राम सिन्धी मैसर्स शंकर स्टोर्स, स्टेशन रोड़, भीलवाड़ा–311001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2020.02.19 11:07:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: